वेबसाईट शाखा

झारखण्ड विधान सभा

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा
तृतीय-सत्र
वर्ग-03

निम्नलिखित अल्प-सूचित प्रश्न,गुरुवार,दिनांकः- 05 भाद्र, 1937(श0) / 27 अगस्त, 2015(ई0) -को झारखण्ड विधान-सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे:-

क्रमांक	विभागों को भेजी गई सं0सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
"क"85	अ0सू0-3	श्री आलमगीर आलम	अभियंताओं का रिक्त पद पर समायोजन।	ग्रामीण विकास	13.08.15

नोटः-"क" दिनांक-26.08.15 को सदन द्वारा दिनांक-27.08.15 के लिए स्थगित।

राँची
दिनांकः-27 अगस्त,2015(ई0)

सुशील कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-प्रश्न-05/2015......2511........./वि0स0,राँची,दिनांकः-......26/8/15.........ई0।
प्रतिलिपिः-झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/मुख्यमंत्री/मंत्रिगण/ संसदीय कार्य मंत्री/मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एस0 शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-प्रश्न-05/2015......2511........./वि0स0,राँची,दिनांकः-...26/8/15...........ई0।
प्रतिलिपिः-माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/सचिवीय कार्यालय,झारखण्ड विधान-सभा,राँची को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय एवं अपर सचिव (प्रश्न) के सूचनार्थ प्रेषित।

(एस0 शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

राजेन्द्र/-

अभियंताओं का रिक्त पद पर समायोजन

"क"–85 श्री आलमगीर आलमः– क्या मंत्री,ग्रामीण विकास विभाग,यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–

1– क्या यह बात सही है JSRRDA द्वारा दिनांक–19.08.2011 के प्रशासी पदवर्ग समिति की बैठक में PMGSY के कार्य के लिए 131 सहायक अभियंता एवं 398 कनीय अभियंता पद की नियुक्ति हेतु पद सृजित किया गया;

2– क्या यह बात सही है कि पदवर्ग समिति द्वारा सृजित पद के विरूद्ध नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशन की गई जिसमें लिखित एवं मौखिक परीक्षा में सफल 50 सहायक अभियंता एवं 150 कनीय अभियंता की नियुक्ति संविदा के आधार पर वर्ष–2013 में की गई,परन्तु इनका मानदेय का भुगतान माह–नवम्बर,2014 से लंबित है;

3– यदि उपर्युक्त प्रश्नखण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है,तो सरकार JSRRDA द्वारा संविदा पर नियुक्त सभी कनीय एवं सहायक अभियंताओं को स्वीकृत रिक्त पद पर समायोजित करने एवं उनके लंबित मानदेय का भुगतान करने का विचार रखती है,यदि हाँ तो कबतक,नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्रीः–

1– स्वीकारात्मक।

2– स्वीकारात्मक।

3– स्वीकृत पद के विरूद्ध रिक्त पद पर तत्काल समायोजन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रसंगाधीन अभियंताओं के सेवा विस्तार हेतु प्रशासी पदवर्ग समिति द्वारा दिनांक–17.08.15 को सहमति दी गयी है। मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव समर्पित किया जाएगा।

नोटः–"क" दिनांक–26.08.15 को सदन द्वारा दिनांक–27.08.15 के लिए स्थगित।

रांची
दिनांकः–27 अगस्त,2015 (ई0)।

सुशील कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा,राँची।

झारखण्ड विधान सभा

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा
तृतीय (मानसून) सत्र
वर्ग–04

05 भाद्रपद,1937 (श0)

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न,गुरूवार,दिनांकः----------को
27 अगस्त,2015 (ई0)

झारखण्ड विधान–सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्रमांक	विभागों को भेजी गई सां0सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
(113)–	अ0सू0–07	श्री शशिभूषण सामाड़	ग्रामों का विद्युतीकरण।	ऊर्जा	14.08.15
(114)–	अ0सू0–10	श्रीमती गंगोत्री कुजूर	विद्यालय को सुविधा संपन्न कराना।	कल्याण	17.08.15
(115)–	अ0सू0–11	श्री निर्भय कुमार शाहाबादी	विभिन्न पदों पर नियुक्ति	ऊर्जा	19.08.15
(116)–	अ0सू0–03	श्री प्रकाश राम	भुगतान की जाँच।	खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले	14.08.15
(117)–	अ0सू0–14	श्री शिवशंकर उराँव	सामाजिक सुरक्षा और देखभाल।	महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा	20.08.15
(118)–	अ0सू0–13	श्री पौलुस सुरीन	भुगतान की उच्च स्तरीय जाँच।	ऊर्जा	20.08.15
(119)–	अ0सू0–15	श्री दीपक बिरूवा	ट्रांसपोर्टरों एवं पदाधिकारियों पर कार्रवाई।	खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले	21.08.15
(120)–	अ0सू0–06	श्री राधाकृष्ण किशोर	मुआवजे का भुगतान।	जल संसाधन	14.08.15
(121)–	अ0सू0–09	श्री बादल	कार्य शीघ्र पूरा कराना।	जल संसाधन	17.08.15
(122)–	अ0सू0–04	श्री योगेश्वर महतो	डैम का निर्माण।	जल संसाधन	14.08.15

कृ0पृ030.../

01	02	03	04	05	06
(123)-	अ०सू०-05	श्री प्रकाश राम	पुरानी व्यवस्था लागू कराना।	महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा	14.08.15
(124)-	अ०सू०-02	श्रीमती विमला प्रधान	अभियंताओं की नियुक्ति।	ऊर्जा	14.08.15
(125)-	अ०सू०-08	श्री दशरथ गागराई	हॉस्पिटल चालू कराना।	कल्याण	14.08.15
(126)-	अ०सू०-16	श्री योगेन्द्र प्रसाद	प्राथमिकी दर्ज कराना।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	21.08.15
(127)-	अ०सू०-01	श्री प्रदीप यादव	उच्च स्तरीय जाँच।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	14.08.15
(128)-	अ०सू०-12	श्री निर्भय कु० शाहाबादी	योजना का लाभ।	महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा	19.08.15

राँची
दिनांक :-27अगस्त,2015 ई०।

सुशील कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या :-प्रश्न-06/2015-......2479....../वि०स०,राँची,दिनांक-..25...अगस्त,2015ई०।

प्रतिलिपि :- झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/ मुख्यमंत्री/मंत्रिगण/संसदीय कार्य मंत्री/मुख्य सचिव तथा राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(गुरुचरण सिंकु)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या :-प्रश्न-06/2015-......2479....../वि०स०,राँची,दिनांक-..25...अगस्त,2015ई०।

प्रतिलिपि :- अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/सचिवीय कार्यालय,झारखण्ड विधान-सभा,राँची को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय एवं अपर सचिव (प्रश्न) के सूचनार्थ प्रेषित।

(गुरुचरण सिंकु)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

PRAVEEN

(113)

श्री शशि भूषण सामाड़, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 27.08.15 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०-07 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री शशि भूषण सामाड, माननीय स.वि.स.	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत चक्रधरपुर विधान-सभा क्षेत्र के बन्दगाँव प्रखण्ड में डेढ़ (1.5) वर्षो से 1291 स्टेट प्लान (State Plan) के तहत् ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य लंबित है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित क्षेत्र में डेढ़ (1.5) वर्षो से बिजली खम्भों की सप्लाई बंद है;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बिजली खम्भों की व्यवस्था कर 1291 स्टेट प्लान के तहत् ग्रामों में विद्युतीकरण कराने का विचार रखती है, यदि, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	राज्य सम्पोषित ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 1291 स्टेट प्लान के अंतर्गत चयनित गाँवों में विद्युतीकरण हेतु पी०एस०सी० पोल की व्यवस्था की जा रही है । बन्दगाँव प्रखण्ड के अंतर्गत उक्त योजना के तहत् चयनित गाँवों को दिसम्बर 2015 तक ऊर्जान्वित करने का लक्ष्य है ।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 2206 / दिनांक 25-08-15

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.08.15

सरकार के उप सचिव

श्रीमती गंगोत्री कुजूर, स०वि०स० द्वारा दिनांक–27.08.2015 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–10 से संबंधित प्रश्नोत्तर सामग्री।

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में कल्याण विभाग द्वारा संचालित आदिवासी/हरिजन बालिका आवासीय विद्यालयों से उनके शिक्षण (शिक्षकों) एवं सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम नहीं है?	अस्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालयों में प्रथम वर्ग से बारहवीं तक की पढ़ाई होती है, किन्तु विद्यालयों में गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी जैसे मुख्य विषय के शिक्षक नहीं होने के कारण छात्राओं के पठन–पाठन में बाधा हो रही है?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में रिक्त शिक्षक के पदों को भरने हेतु तत्कालिक व्यवस्था के तहत Service Procurement के आधार पर अर्हताधारी बेरोजगार युवक–युवतियों से सेवा प्राप्त करने हेतु विभागीय संकल्प संख्या–2151 दिनांक–15.7.2015 जारी किया जा चुका है। शिक्षण कार्य हेतु चयनित युवक/युवतियों द्वारा सप्ताह में कम से कम पाँच कार्य दिवस कार्य लिया जायेगा। एक कार्य दिवस में अधिकतम 4 घंटी अध्यापन का कार्य लिया जा सकेगा, जिसके लिए उन्हें प्रति घंटी 200/– (दो सौ रूपये) वृत्तिका का भुगतान किया जायेगा।
3.	क्या यह बात सही है कि बालिका आवासीय परिसर में पुरूष शिक्षक वार्डेन का कार्य करते हैं, जिससे छात्रा अपने को असुरक्षित महसूस करती है?	कल्याण विभाग द्वारा संचालित बालिका आवासीय विद्यालयों में महिला शिक्षिकाओं को ही वार्डेन का दायित्व सौंपा जाता है। महिला शिक्षिका के कमी के कारण 10 स्थानों पर पुरूष शिक्षक को वार्डेन का दायित्व सौंपा गया है। आदिवासी कल्याण आयुक्त के पत्रांक–1896 दिनांक–21.8.2015 द्वारा सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया जा चुका है कि बालिका आवासीय विद्यालयों में वार्डेन शिक्षक को हटाकर यथाशीघ्र महिला शिक्षिकाओं को वार्डेन का दायित्व सौंपा जाय।
4.	क्या यह बात सही है कि उक्त आवासीय विद्यालयों के चहारदिवारी की ऊँचाई कम है, साथ ही रात्रि प्रहरी भी नियुक्त नहीं है?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। बालिका आवासीय विद्यालयों में मरम्मति एवं जीर्णोद्धार हेतु प्रस्ताव प्राप्त कर राशि की उपलब्धता के अनुसार कार्य कराया जायेगा। बालिका आवासीय विद्यालयों में रिक्त रात्रि प्रहरी के पदों को भरने हेतु कार्रवाई की जा रही है।
5.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सभी बालिका आवासीय विद्यालयों में महिला शिक्षिका, आवासीय परिसर में महिला वार्डेन एवं रात्रि प्रहरी की पुख्ता इंतजाम करने का विचार रखती है, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	चालू वित्तीय वर्ष में सभी बालिका आवासीय विद्यालयों में महिला शिक्षिकाओं को वार्डेन का दायित्व सौंप दिया जायेगा एवं रात्रि प्रहरी की भी नियुक्ति कर ली जायेगी।

झारखण्ड सरकार
कल्याण विभाग

ज्ञापांक–06/वि०स०–09/15– 2722 राँची, दिनांक– 26/8/15

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०–2118 दिनांक–17.8.2015 के आलोक में 10 अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

26.8.15

(मुकुल टोप्पो)
सरकार के उप सचिव।

D:\[illegible]

(115)

श्री निर्भय कुमार शाहाबादी, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 27.08.2015 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–11 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री निर्भय कुमार शाहाबादी, माननीय स.वि.स.	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य ऊर्जा विकास निगम में इन दिनों मैनपावर जैसे–कनीय अभियंता से लेकर जूनियर लाईन मैन व स्वीच बोर्ड ऑपरेटर तक का लगभग 05 (पाँच) हजार पद वर्षो से रिक्त है;	कनीय विद्युत अभियंता (सामान्य संवर्ग) का कुल 386 स्वीकृत पद के विरूद्ध कुल 232 पद रिक्त है। जुनियर लाईनमैन एवं स्वीच बोर्ड ऑपरेटर के पद की स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्तियों की विवरणी वर्त्तमान में निम्नवत है:–

	स्वीकृत	कार्यरत				रिक्त
		नियमित	अनुबंध	मानव दिवस	कुल	
जुनियर लाईनमैन	809	302	243	03	548	261
स्वीच बोर्ड ऑपरेटर	1140	17	164	470	651	489

2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित पद रिक्त होने के कारण सरकार द्वारा राँची, गिरिडीह, जमशेदपुर, धनबाद, रामगढ़, हजारीबाग एवं देवघर इत्यादि शहरों में बिजली आपूर्ति की फेंचाईजी का निर्णय लिया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। निम्नलिखित कारणों से राँची, गिरिडीह, जमशेदपुर, धनबाद, रामगढ़, हजारीबाग एवं देवघर इत्यादि शहरों में बिजली आपूर्ति की फेन्चाईजी का निर्णय लिया गया है:– 1. ए०टी० एण्ड सी० लॉस को कम करना। 2. मीटरिंग, विपत्रीकरण एवं राजस्व संग्रहण में सुधार हेतु। 3. राजस्व को बढ़ाने हेतु। 4. औद्योगीक एवं अन्य आर्थिक क्रियाकलाप को बढ़ावा देने हेतु। 5. उपभोक्ताओं की संतुष्टी हेतु। 6. पूंजीगत खर्च एवं रख रखाव खर्च में कमी हेतु।
3. क्या यह बात सही है कि सरकार खण्ड–02 में वर्णित शहरों में उक्त फेंचाईजी के बदले खण्ड–01 में वर्णित पदों पर नियुक्ति करें तो राज्य में बेरोजगार युवकों को रोजगार का अवसर मिलेगा;	बिजली आपूर्ति व्यवस्था का सुदृढ़िकरण एवं आधुनिकीकरण एवं आम बिजली उपभोक्ताओं की सुविधाओं में बढ़ोत्तरी के साथ–साथ आवश्यकतानुसार रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्ति की प्रक्रिया किये जाने पर बेरोजगार युवकों को रोजगार का अवसर मिलेगा।
4. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जनहित में खण्ड–01 में वर्णित निगम के वर्णित पदों पर नियुक्ति का विचार रखती है, यदि, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	निगम में Critical Technical Officers/Workman के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु प्रक्रिया जल्द प्रारंभ किए जाने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 2225 / दिनांक 26-08-15

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.08.15
सरकार के उप सचिव

(118)

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 27.08.2015 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०– 03 का उत्तर।

प्रश्नकर्त्ता
श्री प्रकाश राम
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री सरयू राय
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा राज्य में 35 लाख बी०पी०एल० परिवारों को अनुदानित दर पर चीनी उपलब्ध कराने की योजना है;	स्वीकारात्मक।
(2) क्या यह बात सही है कि उक्त योजना के तहत बाजार दर से 2 गुणा ज्यादा दर पर खरीदारी की जाने के कारण बी०पी०एल० परिवारों से एवं राज्य के राजस्व के करोड़ों रूपये की अधिक राशि आपूर्तिकर्त्ता को भुगतान हो जायेगा ;	अस्वीकारात्मक।
(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस अतिरिक्त राशि के भुगतान के कारणों का जाँच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराना चाहेगी, यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	कंडिका 2 में स्थिति स्पष्ट है।

ज्ञापांक :– खा० प्र० 06–9 (विधान सभा) 65/2015 4148 /राँची, दिनांक 20.08.15

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या 2087, वि०स०, दिनांक 14.08.2015 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.8.15
(उपेन्द्र नारायण उराँव),
सरकार के अपर सचिव।

(117)

श्री शिवशंकर उराँव, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक– 27.08.2015 को पूछे जाने वाला
अल्पसूचित प्रश्न सं०– अ०सू०– 14 की उत्तर सामग्री

स	प्रश्न	उत्तर
	क्या यह बात सही है कि नक्सल प्रभावित झारखण्ड के विद्यालयों में पढ़ने वाले छोटे–छोटे बच्चों एवं अभिभावकों को नक्सलियों द्वारा जान से मारने की धमकी देकर, जोर–जबरदस्ती अगवा कर अपने साथ ले जाने की घटना हो रही है। जिस कारण अभिभावकों द्वारा अपने बच्चों को बचाने के लिए विभिन्न शहरों में रखा जा रहा है।	स्वीकारात्मक।
	क्या यह बात सही है कि ऐसे बच्चों की सुरक्षा और देखभाल करना कल्याणकारी राज्य का परम दायित्व है।	स्वीकारात्मक।
	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गाँव से पलायित बच्चों को चिन्हित कर उन्हें सामाजिक सुरक्षा और देखभाल करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	समेकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत गाँव से पलायित बच्चो को चिन्हित करने हेतु जिला, प्रखण्ड तथा ग्राम स्तर पर बाल संरक्षण समिति का गठन हो रहा है। ग्राम स्तर पर उक्त समिति कठिन परिस्थिति में जीने वाले ऐसे बच्चों को चिन्हित करेगी जिनके पलायन, ट्रैफिकिंग, शोषण तथा दुर्व्यवहार की संभावना अधिक है। इसके अलावा गाँव से पलायन कर चुके बच्चों की जानकारी प्रखण्ड बाल संरक्षण समिति के माध्यम से जिला स्तरीय समिति तथा जिला बाल संरक्षण संस्था को समय–समय पर उपलब्ध करायेंगी। कठिन परिस्थिति में जीवन यापन करने बच्चों के लिए समेकित बाल संरक्षण योजनान्तर्गत संस्थागत सेवा यथा बाल गृह (पूर्वी सिंहभूम–लड़कों के लिए तथा रांची, देवघर एवं गुमला– लड़कियों के लिए) का संचालन हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में 11 नए बाल गृह खोलने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है। साथ ही, परिवार आधारित गैर संस्थागत सेवा के अर्न्तगत Sponsorship Foster Care, दत्तक ग्रहण तथा After Care के कार्यक्रम राज्य के सभी जिलों में जिला बाल संरक्षण संस्था के माध्यम से चलाया जाना है। इस हेतु सभी जिला में प्रथम चरण का आवश्यकताओं का आकलन पूर्ण हो चुका है। दत्तकग्रहण के आलावा अन्य योजना नम्बर, 2015 से राज्य में क्रियाशील होंगे।

झारखण्ड सरकार
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग
झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची – 834 004

पांक – म० स०/अ०सू०प्र०– 432/2015– 1911 राँची, दिनांक 26/8/ 2015

प्रेषित :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं०–2373/वि०स० दिनांक– 20.08.2015 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/8/15
(शिवजी चौपाल)

(118)

श्री पौलुस सुरीन, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 27.08.15 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०-13 की उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री पौलुस सुरीन, माननीय स.वि.स.	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि ज्रेडा द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 में झारखण्ड के कई जिलों के पंचायत भवनों में 1 के०डब्लू०पी० kmp क्षमता के सोलर पावर प्लांट अधिष्ठापन हेतु संवेदक को कार्य आवंटित किया गया था;	ज्रेडा द्वारा वर्ष 2013–14 में राज्य सरकार के e-governance योजना के अन्तर्गत कुल 4424 पंचायत भवनों में स्थित प्रज्ञा केन्द्रों के लिए 1 kWp तथा 260 प्रखण्डों में झारनेट के लिए 2 kWp क्षमता के सोलर प्लांट अधिष्ठापन का कार्य खुली निविदा के आधार पर 10 संवेदकों को दिया गया है ।
2. क्या यह बात सही है कि संवेदक द्वारा मात्र 30–40 प्रतिशत तक ही पंचायत भवनों में सोलर पावर प्लांट का अधिष्ठापन किया गया है तथा संवेदक को अभी तक 90 प्रतिशत राशि का भुगतान कर दिया गया है, जिसकी जाँच कराने हेतु डा० अजय कुमार, पूर्व सांसद द्वारा भी लिखा गया है;	संवेदकों को कार्यादेश के अनुसार सामग्री आपूर्ति करने के उपरान्त 60 प्रतिशत तथा प्लांट अधिष्ठापन पूरा करने पर 30 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाता है तथा इसी प्रक्रिया के अनुसार ही अभी तक कराये गये कार्यों का भुगतान किया गया है । दिनांक 31.07.2015 तक कुल 4423 पंचायतों के विरूद्ध 2813 पंचायत भवनों में सामग्री आपूर्ति के उपरांत 60 प्रतिशत तथा 2199 पंचायत भवनों में अधिष्ठापन के उपरांत शेष 30 प्रतिशत का भुगतान किया गया है। डा० अजय कुमार पूर्व सांसद द्वारा उक्त योजना की जाँच कराने हेतु कोई पत्र ज्रेडा को नहीं लिखा गया है ।
3. क्या यह बात सही है कि संवेदक से मिली–भगत कर ज्रेडा के पदाधिकारियों ने इतनी बड़ी राशि का भुगतान किया है तथा उसी संवेदक को पुनः राज्य में सोलर लाईट लगाने का कार्य दिया गया है;	संवेदकों द्वारा किये गये कार्य के लिए ही कार्यादेश के अनुसार सामग्री आपूर्ति करने के उपरान्त 60 प्रतिशत तथा प्लांट अधिष्ठापन पूरा करने पर 30 प्रतिशत राशि का भुगतान किया गया है ।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त संवेदक को काली सूची में डालते हुए किये गये भुगतान की उच्च स्तरीय जाँच कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?	संवेदकों को कार्यादेश के प्रावधान के अनुसार भुगतान किया गया है। अतः उक्त संवेदकों को काली सूची में डालने या उच्च स्तरीय जांच का कोई औचित्य नही है।

झारखण्ड सरकार,

ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 3196 / दिनांक 25-08-15

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.08.15

सरकार के उप सचिव

(119)

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 27.08.2015 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या– अ०सू०–15 का उत्तर।

प्रश्नकर्त्ता
श्री दीपक बिरूवा
स०वि०स०

उत्तरदात्ता
श्री सरयू राय
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि उपायुक्त प० सिंहभूम द्वारा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए डोर स्टेप डिलिवरी हेतु निविदा में दिए गए वाहन (नंबर के साथ) को ही अपने–अपने प्रखण्डों में उतराव व ढुलाई की मान्यता प्रदान की गई है;	स्वीकारात्मक। डोर स्टेप डिलिवरी के तहत परिवहन अभिकर्त्ता द्वारा निविदा शर्त में दिये गये वाहन (नम्बर के साथ) द्वारा आवंटित प्रखण्ड के राज्य खाद्य निगम गोदाम से जन वितरण प्रणाली दुकानदारों तक खाद्यान्न ढुलाई की मान्यता प्रदान की गई है।
(2) क्या यह बात सही है कि है हाटगम्हरिया प्रखण्ड हेतु चिन्हित वाहन संख्या जे०एच० 06 एफ०–5621, जे० एच० 06 एफ० 5601, जे० एच० 06 बी०–1644 और जे०एच० 06 जी०–4969 के माध्यम से डोर स्टेप डिलिवरी ट्रांसपोर्टरों के द्वारा सदर प्रखण्ड स्थित खाद्यान्न गोदाम में खाद्यान्न उतारा गया है;	अस्वीकारात्मक। हाटगम्हरिया प्रखण्ड का जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को आवंटित खाद्यान्न चिन्हित वाहन संख्या– जे०एच० 06 एफ०–5621, जे० एच० 06 एफ०–5601, जे० एच० 06 बी०–1644 और जे०एच० 06 जी०–4969 के माध्यम से डोर स्टेप डिलिवरी ट्रांसपोर्टरों के द्वारा सदर प्रखण्ड गोदाम में नहीं उतारा गया है।
(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार निविदा में उल्लिखित शर्तों के विरूद्ध कार्य करने वाले ट्रांसपोर्टरों एवं भ्रष्टाचार में संलिप्त पदाधिकारियों को चिन्हित करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	अस्वीकारात्मक।

ज्ञापांक :– खा० प्र० 06–9 (विधान सभा) 71/2015 4259 /राँची, दिनांक 26-08-15

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या 2397, वि०स०, दिनांक 21.08.2015 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.8.15
(उपेन्द्र नारायण उराँव),
सरकार के अपर सचिव।

(120)

श्री राधाकृष्ण किशोर, स०वि०स० द्वारा दिनांक–27.08.2015 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न का उत्तर प्रतिवेदन अ.सू.–6

क्र०	प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत बटाने जलाशय योजना के कुल–1047 विस्थापित परिवारों के विरूद्ध 125 विस्थापित परिवारों को जुलाई 2015 तक मुआवजे की राशि का भुगतान नहीं किया गया है।	बटाने जलाशय योजना एक अन्तर्राज्यीय परियोजना है। बिहार एवं झारखण्ड के बीच हुए समझौते के आधार पर डैम एवं बराज मद में हुए व्यय की भागीदारी क्रमशः 88.41% एवं 11.59% निर्धारित है। बटाने जलाशय योजना से विस्थापित परिवारों की संख्या 1047 है जिसमें से 990 परिवारों को मुआवजा भुगतान किया जा चुका है। शेष 57 परिवारों को भुगतान किया जाना है। कुछ परिवारों को विभिन्न प्रकार के अनुदान की भुगतान की कार्रवाई की जा रही है। मुआवजा भुगतान हेतु अब तक ₹ 1549.00 लाख का व्यय किया जा चुका है (जिसमें बिहार की देनदारी ₹1369.47 लाख एवं झारखण्ड का ₹ 179.53 लाख है)।
2	यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित विस्थापित परिवारों को मुआवजे की राशि का भुगतान कब तक करना चाहती है?	मार्च 15 तक परियोजना पर कुल व्यय ₹ 4059.41 लाख है जिसमें बिहार का हिस्सा ₹ 3597.393 लाख एवं झारखण्ड का ₹ 462.017 लाख है। इसके विरूद्ध बिहार से ₹ 1529.215 लाख की राशि मार्च 15 तक प्राप्त हुई है। शेष ₹ 2068.178 लाख की राशि बिहार से प्राप्त किया जाना है। उक्त राशि बिहार से प्राप्त होने के उपरान्त मुआवजे की शेष राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक–6/ज०स०वि०–10–अ०सू०–10/2015 4586 /राँची, दिनांक– 26-8-15

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं०–6/ज०स०वि०–10–अ०सू०–10/ 2015–4402 राँची, दिनांक–17.08.2015 के प्रसंग में अतिरिक्त 20 (बीस) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, कॉके रोड राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग मेदिनीनगर/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/8/2015

सरकार के उप सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग, राँची।

(121)

श्री बादल, माननीय स०वि०स० द्वारा पूछा गया
अल्प–सूचित प्रश्न संख्या – 09 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सुवर्णरेखा सिंचाई परियोजना में गालूडीह दांया नहर प्रमण्डल सं०–1 में 0 (जीरो) किलोमीटर से 4.56 किलोमीटर एवं 6.03 किलोमीटर से 6.39 किलोमीटर नहर निर्माण का कार्य 26 करोड़ रूपये की राशि का मेसर्स इशान डेवलपर्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, चण्डीगढ़ कम्पनी को दिनांक 07.04.2000 में दिया गया,	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि कार्य की प्रगति बहुत ही धीमी एवं असंतोषजनक रहने के कारण एजेन्सी को काम में तेजी लाने और ऐसा नहीं करने पर टर्मिनेट करने तथा कम्पनी को काली सूची में डालने की नोटिस भी दिनांक– 11 फरवरी, 2015 को दी गई, परन्तु आजतक एजेन्सी ने कार्य में कोई भी प्रगति नहीं कि, जिससे परियोजना की प्रगति बाधित हो रही है,	स्वीकारात्मक है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार परियोजना की प्रगति बाधित करने वाले दोषी कार्य एजेन्सी पर कार्रवाई करते हुए नहर निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रगति संतोषजनक नहीं रहने के कारण संवेदक के विरूद्ध SBD की कंडिका–59.1 एवं 59.2 के तहत् कार्रवाई प्रारम्भ की गई है। इस क्रम में प्रमंडलीय कार्यालय के पत्रांक–472 दिनांक 02.07.15, पत्रांक–513 दिनांक 11.07.15 के द्वारा संवेदक को दो नोटिस दिया जा चुका है। कार्यपालक अभियंता, गालूडीह दाँया नहर प्रमंडल सं०–1, मुसाबनी, शिविर–गालूडीह के कार्यालय के पत्रांक–601 दिनांक 20.08.15 द्वारा उक्त एकरारनामा को विखंडित करने एवं कालीकृत सूची में डालने की कार्रवाई प्रारम्भ की जा चुकी है। यह प्रक्रिया पूर्ण होते ही पुनः निविदा की कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–10–अ०सू०–11/2015 – 4551 /राँची, दिनांक 24-8-15

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 2119 वि०स० दिनांक 17.08.2015 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, कौंके रोड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, चांडिल/ईचा–गालूडीह कॉम्पलेक्स, आदित्यपुर, जमशेदपुर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/8/15

सरकार के उप सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग, राँची।

(122)

श्री योगेश्वर महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक- 27.08.2015 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न सं०-ज०-04 के संबंध में उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि जरीडीह प्रखंड अंतर्गत बेलडीह पंचायत के होडहुडी (गोपाल लोटा) रेकदाहा नाला में मध्यम सिंचाई योजना के तहत बड़ा कच्चा चेकडैम का निर्माण से बड़े पैमाने में किसानों को सिंचाई सुविधा प्राप्त हो सकेगी ?	स्वीकारात्मक
2	क्या यह बात सही है कि, पूर्णतः कृषि प्रधान जरीडीह प्रखंड में छोटी-बड़ी नदियों मे सालों भर पानी बहता है, फिर भी उचित सिंचाई साधन के आभाव में यहाँ कृषक साल में एक ही कृषि कार्य कर पाते है?	आंशिक स्वीकारात्मक। जरीडीह प्रखण्ड अन्तर्गत लघु सिंचाई द्वारा सिंचाई तालाब→लिदुआ बाँध सिंचाई, बलरामपुर सिंचाई तालाब, सिंचाई कूप, डुमरडीह मध्यम सिंचाई योजना, डुडरू जोर नाला, श्रृंखलाबद्ध चेकडैम आदि का निर्माण कराया गया है।
3	यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त रेकदाहा नाला में बड़ा कच्चा चेकडैम निर्माण का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों?	योजना का सर्वेक्षण किया जा रहा है। तकनीकी संभाव्यता पाये जाने पर लाभ-लागत, अनुपात, बजटीय उपबंध, निधि की उपलब्धता एवं क्षेत्रीय संतुलन को देखते हुए कार्य कराया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांकः 6/ज०सं०वि०/10-अल्प०-10/09-2015 4550 राँची, दिनांक- 24-8-15

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक-, दिनांक- के क्रम मे 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके, राँची/उप सचिव, मंत्रीमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. अभियंता प्रमुख-II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं प्रशाखा पदाधिकारी-6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 24/8/15
उप सचिव(अभि.)
जल संसाधन विभाग, राँची

123

श्री प्रकाश राम, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–27.08.2015 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–05 की उत्तर सामग्री

क्रम	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पोषाहार योजना के तहत 6 वर्षों से नीचे उम्र के सभी बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्रों की माध्यम से पौष्टिक आहार की व्यवस्था की जाती है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार पिछले दो वर्षो से जो **रेडी टू इट** आहार की व्यवस्था की है यह बच्चों को खाने योग्य नही है;	अस्वीकारात्मक है। माह जुलाई 2014 से **रेडी टू इट** आहार की आपूर्ति पूरक पोषाहार के रुप में किया जा रहा है।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारत्मक है तो क्या सरकार इसकी गहन समीक्षा कर पुनः पुरानी व्यवस्था को लागू करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	अस्वीकारात्मक है। आंगनबाड़ी केन्द्रों में पूरक पोषाहार कार्यक्रम का संचालन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं भारत सरकार के दिशा–निर्देश के अनुरुप किया जा रहा है। इस हेतु सभी उपायुक्तों से पोषाहार की ग्राह्यता एवं स्वीकार्यता के संबंध में विभागीय पत्रांक–1716 दिनांक–06.08.2015 द्वारा प्रतिवेदन की मांग की गयी है।

झारखण्ड सरकार
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – सा० सु0/अल्पसूचित – 414/2015–1864 राँची, दिनांक : 24 अगस्त 2015
प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं० –2071 दि० स० दिनांक –14.08.2015 के संदर्भ में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.8.15

(शिवजी चौपाल)
सरकार के अपर सचिव।

E:\sanjay ... Social Welfare ... answer.doc

(124)

श्रीमती विमला प्रधान, माननीया स०वि०स० द्वारा दिनांक 27.08.15 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०-02 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्रीमती विमला प्रधान, माननीया स.वि.स.	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि बिजली वितरण निगम में सहायक एवं कनीय अभियंताओं की भारी कमी के कारण बिजली व्यवस्था को ठीक करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ;	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि 317 पद सहायक अभियंताओं में से मात्र 10 एवं 386 पद कनीय अभियंताओं में से अभी मात्र 154 कार्यरत् है, जिसमें 96 अभियंता ही नियमित है तथा 55 अभियंता कान्ट्रैक्ट पर है, जिसके कारण कनीय अभियंता अलग-अलग क्षेत्रों के प्रभार में होने के कारण बिजली वितरण को दुरूस्त रखना संभव नहीं हो पा रहा है ;	1) सहायक विद्युत अभियंता (झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि०) का स्वीकृत 317 पद के विरूद्ध 131 सहायक विद्युत अभियंता कार्यरत है। 2) कनीय विद्युत अभियंता (झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि०) का कुल स्वीकृत 386 पद के विरूद्ध 99 कनीय विद्युत अभियंता नियमित एवं 55 कनीय विद्युत अभियंता (प्रशिक्षु) कार्यरत् है। 3) कनीय विद्युत अभियंता एवं सहायक विद्युत अभियंता के रिक्तियों के कारण कार्य में कठिनाई हो रही है।
3. क्या यह बात सही है कि वर्षों से बहाली नहीं होने के कारण मैन पावर की काफी कमी है ;	आंशिक स्वीकारात्मक है।
4. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार निकट भविष्य में बिजली वितरण निगम का सुचारू रूप से चलाने हेतु अभियंताओं की नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	निगम में Critical Technical Officers/Workmen के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु प्रक्रिया जल्द प्रारम्भ किये जाने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 2215 / दिनांक 26-08-15

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.08.15

सरकार के उप सचिव

(125)

श्री दशरथ गागराई, स०वि०स० द्वारा झारखण्ड विधान सभा में दिनांक– 27.08.2015 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या– अ०सू०–08 का उत्तर सामग्री

क्र० सं०	अल्पसूचित प्रश्न	विभागीय मंत्री का उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के खूँटपानी प्रखण्ड के बासाहातु गाँव में मेसो हॉस्पिटल विगत दो वर्ष पूर्व ही बन कर तैया है ?	स्वीकारात्मक। वस्तु स्थिति यह है कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के खूँटपानी प्रखंड के बडाचिरू गाँव में मेसो हॉस्पिटल दो वर्ष पूर्व बन कर तैयार है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त हॉस्पिटल के प्रारंभ नहीं होने से आस–पास के लोग बेहत्तर चिकित्सा सुविधा से वंचित है ?	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि उक्त हॉस्पिटल का संचालन निजी संस्थान/स्वयं सेवी संस्थान (NGO) को देने का प्रस्ताव विभाग ने बनाया है ?	स्वीकारात्मक। वस्तु स्थिति यह है कल्याण विभाग द्वारा 5 नव निर्मित मेसो ग्रामीण अस्पतालों में सफल संचालन के लिये टी०सी०डी०सी०, राँची द्वारा वर्ष 2014–15 में निविदा आमंत्रित किया गया था। कतिपय कारणों से आमंत्रित निविदा को रद्द कर दिया गया था। चालू वित्तीय वर्ष में 5 नव निर्मित अस्पतालों के सफल संचालन के लिये निविदा आमंत्रित कर संचालन शीघ्र प्रारम्भ किया जायेगा।
4	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लोकहित में उक्त हॉस्पिटल को चालु कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक नही तो क्यो ?	उक्त कडिका 3 में वस्तु स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
कल्याण विभाग।

ज्ञापांक सं०–04/वि०स०–02/2015 2622 राँची, दिनांक: 21/8/15

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, विधान सभा सचिवालय, राँची को ज्ञाप संख्या– 2090, दिनांक–14.08.2015 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/8/15

(शुभा अखौरी)
सरकार के उप सचिव।

(26)

ज्ञापांक सं0 2398 वि0स0 रॉची, दिनांक 21.08.2015 द्वारा माननीय श्री योगेन्द्र प्रसाद, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 27.08.15 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न सं0 अ0सू0–16 की उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता
श्री योगेन्द्र प्रसाद, माननीय स0वि0स0	श्री रणधीर कुमार सिंह, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
प्रश्न	**उत्तर**
01) क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिलान्तर्गत प्रखण्ड+ग्राम– केरेडारी में कार्यरत समिति, केरेडारी अनुसूचित जाति एवं जनजाति मत्स्यजीवी स्वावलम्बी सहकारी समिति को सरकारी आहर जोड़दाग एवं कुठान के जीर्णोद्धार के लिए मत्स्य विभाग द्वारा 13,18,100/– रू0 खाते में दिया गया है,	उत्तर– स्वीकारात्मक है। केरेडारी अनुसूचित जाति एवं जनजाति मत्स्यजीवी स्वावलम्बी सहकारी समिति को उपायुक्त हजारीबाग द्वारा स्वीकृत आई0ए0पी0 योजना (2010–11) के तहत् सरकारी आहर जोड़दाग एवं कुठान के जीर्णोद्धार के लिए मो0 14,64,812/– रू0 (चौदह लाख चौंसठ हजार आठ सौ बारह रूपये) मात्र का भुगतान चेक के माध्यम से समिति को किया गया है।
02) क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त दोनों तालाबों के जीर्णोद्धार में लगे मशीन एवं मजदूरों का भुगतान समिति द्वारा नहीं किया गया है एवं राशि की निकासी समिति के अध्यक्ष श्री आनन्द किशोर पासवान द्वारा स्वयं किया गया है जो अवैध है	उत्तर– आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। तालाब का जीर्णोद्धार कार्य हो चुका है। कार्य में लगे मशीनों तथा मजदूरों का भुगतान श्री आनन्द किशोर पासवान द्वारा नहीं किया गया है, से संबंधित परिवाद उपायुक्त, हजारीबाग को प्राप्त हुआ है। इसकी जाँच करायी जा रही है।
03) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार इस समिति का लेखा एवं खाता का विशेष अंकेक्षण तथा समिति के अध्यक्ष आनन्द किशोर पासवान पर मत्स्य विभाग द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराते हुए मशीन एवं मजदूरों का भुगतान सप्ताह दिनों के अन्दर कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	लंबित राशि के भुगतान हेतु तथा उक्त समिति के विशेष अंकेक्षण के लिए उपायुक्त, हजारीबाग को निदेश दिया गया है।

ज्ञापांक– सं0स0–म0नि0–XI/वि0स0–46/2015–16 1708 मत्स्य/रॉची/दिनांक 26/08/2015

उत्तर की कुल 200 चक्रलिखित प्रतियाँ अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26/08/15

सरकार के अवर सचिव
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
झारखण्ड, रॉची।

(127)

माननीय स0वि0स0, श्री प्रदीप यादव के द्वारा दिनांक-27.08.2015 को पूछ जानेवाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या-अ0स0-01 का प्रश्नोत्तर।

उत्तरदाताः- माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग।

क्या मंत्री कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-		
क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या बात सही है कि झारखण्ड राज्य बागवानी मिशन (NHM) के परियोजना निदेशक द्वारा घोटाले की जांच 2014 में तत्कालीन कृषि निदेशक, श्री कृष्ण देव प्रसाद साहू ने किया था तथा यह बात प्रमाणित हो चुका है कि परियोजना निदेशक, बागवानी ने घोटाला किया है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। तत्कालीन कृषि निदेशक, श्री कृष्ण देव प्रसाद साहू के द्वारा देवघर एवं जामताड़ा जिले में राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजनान्तर्गत संपादित किए गए कार्यों का जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसकी विस्तृत समीक्षा विभाग के स्तर पर विचाराधीन है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलम्ब उपरोक्त भ्रष्ट अधिकारी को हटाते हुए उनके कार्यकाल के कार्यों का उच्च स्तरीय जांच कराना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के द्वारा सम्पूर्ण राज्य में राष्ट्रीय बागवानी मिशन द्वारा पिछले चार वित्तीय वर्षों में तथा वित्तीय वर्ष 2014-15 में किए गए कार्यों की राज्य स्तरीय जांच हेतु प्रमण्डल स्तरीय समितियों का गठन किया गया है, जिनके द्वारा स्थलीय जांच जारी है। तत्संबंधी जांच प्रतिवेदन प्राप्त होते ही समेकित रूप से समीक्षा कर दोषी पाए जाने वाले पदाधिकारियों/कार्यकारी संस्थाओं के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक-9/कृ0वि0स0प्र0-55/2015- 3203 कृ0,राँची,दिनांक- 22-08-15

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0-208। दिनांक-14.08.2015 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/8/15

(विजय कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-9/कृ0वि0स0प्र0-55/2015- 3203 कृ0,राँची,दिनांक-22-08-15

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोयांग, झारखण्ड, राँची/विभागीय माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/8/15

सरकार के संयुक्त सचिव

128

श्री निर्भय कुमार शाहाबादी, मा०स०वि०स० से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न सं०– अ०सू०– 12 की उत्तर सामग्री

	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में वर्ष 2011 से लक्ष्मी लाडली योजना लागू कर दी गई है, जिसके प्रचार–प्रसार में सरकार लगभग 01 करोड़ रूपये खर्च कर चुकी है,	अस्वीकारात्मक। प्रचार–प्रसार हेतु कुल योजना राशि का 0.75 प्रतिशत राशि का प्रावधान किया गया है तथा 0.75 प्रतिशत राशि अभिलेखीकरण एवं अन्य आकस्मिक व्यय हेतु मार्गदर्शिका में प्रावधान किया गया है। सामान्य रूप से राज्य सरकार के प्रचार–प्रसार के माध्यम यथाः सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के द्वारा अपने बजटीय उपबंध से ही इस योजना का भी प्रचार–प्रसार किया जाता है। योजना मद की कोई राशि प्रचार–प्रसार में व्यय नहीं की गई है।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी जिलों में लोगों को उक्त योजना का समुचित लाभ नही मिल पा रही है क्योंकि सभी जिला उक्त योजना के लक्ष्य से अब तक बहुत पीछे हैं,	अस्वीकारात्मक। इस योजना का मुख्य लक्ष्य सभी पात्र लाभुकों को लाभान्वित किया जाना है। जिलावार लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है, बल्कि जिला में जन्मी सभी पात्र बालिकाओं को इस योजना से लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य है। इस योजना की उपलब्धि संस्थागत प्रसव की उपलब्धि पर निर्भर है, क्योंकि गैर संस्थागत जन्म की स्थिति में इस योजना का लाभ नहीं दिया जाता।
3	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह, देवघर, हजारीबाग एवं धनबाद जिलों में उक्त योजना के लाभुकों को सूचीगत कर सरकार द्वारा निर्धारित देय लाभ (NSC) नहीं दी जा रही है।	अस्वीकारात्मक। राज्य सरकार एवं डाक विभाग के बीच दिनांक 17.02.2012 को MoU किया गया है, जिसके माध्यम से इस योजना के लाभुकों को NSC निर्गत किया जाता है। जिला स्तरीय परियोजना अधिकारी संबंधित नोडल पोस्टमास्टर से निरन्तर सम्पर्क में रहते हैं और हितग्राहियों को होनेवाले कठिनाईयों का निदान करते हुए ससमय NSC निर्गत कराने की कार्रवाई करते हैं। किसी समय विशेष पर डाक विभाग में NSC नहीं रहने की स्थिति में NSC की उपलब्धता में विलम्ब होती है। समय–समय पर विभाग स्तर पर इसकी समीक्षा की जाती है।
4	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जनहित में उक्त योजना को सख्ती से अनुपालन कराते हुए खण्ड–03 में वर्णित जिलों के लाभुकों का सूची उपलब्ध कराते हुए उक्त लाभुकों को (NSC) का देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?	अगर किसी जिले के नोडल पदाधिकारी द्वारा यह सूचित किया जाता है कि हितग्राहियों को NSC निर्गत नहीं हो रहा है तो राज्य सरकार इस संबंध में पोस्ट मास्टर जेनरल के माध्यम से हितग्राहियों के नाम से NSC निर्गत कराने हेतु कृत संकल्प है। वर्तमान में किसी जिला से इस तरह की सूचना विभाग को प्राप्त नहीं है।

झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची – 834 004

ज्ञापांक – म० स०/अल्प सू०प्र०– 429/2015– 1915 राँची, दिनांक 26/09/ 2015

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं०–2263/वि० स० दिनांक – 19.08.2015 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शिवजी चौपाल)